

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.12.2017 को सम्पन्न हुई 36वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :-

- | | |
|--|----------|
| 1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। | —अध्यक्ष |
| 2. श्री सीताराम यादव, संयुक्त सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) | —सदस्य |
| 3. श्री नरेन्द्र कुमार चौबे, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) | —सदस्य |
| 4. श्री अभय कुमार, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण) | —सदस्य |
| 5. श्री एस0एल0 मौर्या, उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) | —सदस्य |
| 6. श्री टी0एन0 मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) | —सदस्य |

विशेष आमंत्रि:-

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडा।
4. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू-अर्जन, यूपीडा।
5. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
6. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी (उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी), यूपीडा।
8. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, यूपीडा।
9. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक (वित्त), यूपीडा।
10. श्री अनूप श्रीवास्तव, प्रबन्धक (तकनीकी), यूपीडा।
11. श्री बी0एस0 दुबे, सलाहकार (प्रोक्योरमेंट सेल), यूपीडा।
12. श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
13. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।

यूपीडा निदेशक मण्डल की 36वीं बोर्ड बैठक में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों का स्वागत करते हुये उन्हें यूपीडा के वर्तमान परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति से निम्नवत् अवगत कराया गया, उन्होंने बताया कि, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपीडा को कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वर्तमान में यूपीडा की दो बड़ी परियोजनायें चल रही है, जिनमे एक पूर्ण हो रही है, एवं दूसरी परियोजना प्रारम्भ होनी है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग 3 पैकेज का पूर्ण कर लिया गया है, बाकी शेष कार्य 15 से 30 जनवरी 2018 तक पूर्ण हो जाएगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टोल का कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है। आगरा एक्सप्रेसवे की टोलिंग पर यूपीडा द्वारा टोल एक्ट से टोल तय किया गया है, यह एक वाहन पर रू0 780 का एक तरफ से टोल आ रहा है, इस सम्बन्ध में विभागीय मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उन्हें बताया गया कि यदि इतना अधिक टोल लगायेंगे तो जनता से विपरीत प्रतिक्रिया आ सकती है, एवं ट्रैफिक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकती है। इस लिये इस बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया है, कि अभी 6 माह के लिये 25 प्रतिशत की टोल में छूट दे दी जाये यह प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किया जा चुका है, एवं बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है, इस प्रकार रू 500 का एक साइड से टोल आयेगा वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति एन0एच0 के माध्यम से आगरा जाता है, तो उसका रू0 470 का टोल देना होता है, इस लिये छूट के बाद लगभग वही रेट एक्सप्रेसवे पर आ जायेगा। यह अनुमान है, कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 60-70 लाख का प्रतिमाह टोल आयेगा यह टोल नये वर्ष के प्रारम्भ में न लगा कर 5 जनवरी 2018 से प्रारम्भ कर दिया जायेगा, लखनऊ साइट का टोल बूथ तैयार हो गया है, किन्तु अभी उसकी परीक्षण चल रहा है, जो 3 जनवरी 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। कुछ स्थानो पर भूमि अधिग्रहण की समस्या थी 3 स्थानो पर अभी भी भूमि अधिग्रहण मे समस्या आ रही है। जिसकी कारण से कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आगरा एक्सप्रेसवे पर दोनो तरफ इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर यूपीडा द्वारा कार्य किया जा रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है, एवं विभागीय मंत्री से भी वार्ता हुई है। इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी फरवरी माह 2018 में कराना चाहते है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आर0एफ0क्यू0 शासन गया हुआ है, हमारा प्रयास है, कि अगली कैबिनेट तक आर0एफ0क्यू0 अनुमोदित हो जाए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिये अभी 83.5 प्रतिशत भूमि क्रय की जा चुकी हैं हमारा प्रयास है, कि कैबिनेट होने तक 85 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहित हो जाये। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यदि शिलान्यास प्रधानमंत्री के स्तर से होता है, तो यह हमारे लिये महत्व पूर्ण होगा एवं परियोजना का निर्णय उच्च गुणवत्ता एवं पारदर्शी रूप से पूरा कराने की चुनौती भी होगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वित्त पोषण के सम्बन्ध में अभी बैंकर द्वारा 15 हजार करोड़ रूपयें ऋण का आशवासन दिया गया है, जिसमें से 2 हजार करोड का ऋण स्वीकृत भी हो चुका हैं अतः पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने में कोई वित्तएं कठिनाई आने की सम्भावना नहीं है। पिछली बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के लोन टेक ओवर का एक प्रस्ताव पारित हुआ था, वह कैबिनेट से अनुमोदित हो गया है, एवं यूपीडा द्वारा भी हस्ताक्षरित हो गया है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ-साथ गोरखपुर एवं इलाहाबाद जोन में प्री-फिजिबिलिटी का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बुंदेलखण्ड एक्सप्रेसवे हेतु प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। आगरा एक्सप्रेसवे पर वे-साइट अमेनिटीज कार, बस, ट्रक पार्किंग, पार्क, व्यवसायिक क्षेत्र, दुकान, ढाबा/रेस्टोरेन्ट, मोटर वाहन रिपेयर दुकान एवं पेट्रोल पम्प आदि से सम्बन्धित भी अन्य कार्य होने हैं, जिनमें गति लाई जानी हैं, शीघ्र ही यह कार्य भी पूर्ण कर दिया जाएगा। इस वर्ष यूपीडा के व्ययों के लिये जो प्राविधान बजट में किया जाना था, वित्त विभाग द्वारा वह नहीं किया गया है, इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त उ0प्र0 शासन ने सुझाव दिया है, कि चुकि परियोजना अभी निर्माण स्थिति में है इसलिये यूपीडा को अपने व्यय को परियोजना मद में ही बुक किया जाना चाहियें।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 36वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया एवं एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.11.2017 को सम्पन्न हुई 35वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा 35वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.11.2017 को सम्पन्न 35वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:-

2.3 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण हेतु हडको से लिये गये ऋण को बैंकों के माध्यम से "टेक-ओवर" के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया कि, रू0 785 करोड़ ब्याज सहित रू0 791.5 करोड़ खाते में वापस कर दिया गया है।

2.4 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किये जाने सम्बन्धी परियोजना की 'प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार कराने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' के आलेख्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में 'प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट' तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन के लिये 'आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0' तैयार किया जा रहा है।

2.5 अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन के प्रस्ताव के अनुपालन से अवगत कराया गया।

2.6 मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में प्रचलित वादों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये यह भी अवगत कराया गया कि, यूपीडा के श्री पी0के0 तिवारी विधिक सलाहकार की सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर अन्य विधिक सलाहकार नियुक्त किया जाना है।

2.7 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले खनिजों की उपलब्धता के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है, एवं एक माह के समय में पूर्ण हो जायेंगी। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुख्य अभियन्ता को निर्देशित किया कि, वे इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी की आवश्यकता है, एवं यह भी आदेश निर्देशित किया कि श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण) को ही नोडल अधिकारी नामित कर दिया जायें जिससे प्रचलित कार्यवाही को गति दी जा सकें।

2.8 आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर अथॉरिटी इंजीनियर के स्टाफ एवं अन्य सम्बन्धित मदों का Maintenance Period हेतु reorganization पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि Maintenance Period में इसे reorganization किया जाना है एवं व्यय को कम किया जाना है, एग्रीमेन्ट में जो स्वरूप दिया गया था उसे भी बदला जाना है, निदेशक मण्डल के अनुमोदन के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त के क्रम में अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संस्तुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:-

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर टोलिंग प्रारम्भ करने हेतु प्रारम्भिक 6 माह में टोल दरों पर छूट देने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने अवगत कराया कि, जनवरी 2018 के प्रथम सप्ताह से टोल प्रारम्भ किया जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन हो गया है, एवं दरें निर्धारित हो गये हैं। चूंकि दरें एन0एच0आई0 की तुलना में अधिक है, इस लिये यह देखते हुये कि कहीं गाड़ियों की संख्या कम न हो जाये दरों में 25 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। वित्त विभाग के सदस्य द्वारा यह जिज्ञासा की गई कि 25 प्रतिशत किये का आधार क्या है? उक्त पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक्सप्रेसवे से साधारण 92 प्रतिशत एन0एच0आई0 एक्सप्रेसवे से अधिक है, क्योंकि एक्सप्रेसवे की क्वालिटी अधिक उच्च होती है, एन0एच0आई0 की दर 390 रु0 है, यदि 780 प्रस्तावित टोल में 25 प्रतिशत कम करते हैं, तो लगभग 500 रु0 आता है, यह दर 6 माह के लिये लागू होंगी एजेण्डा के प्रस्ताव में वर्ष 2017-2018 के लिये लिखा गया है, जिसके अनुसार इसे 31 मार्च तक के लिये लागू होगा, इसमें संशोधन कर 6 माह लिखा जाना चाहिए, उक्त से सहमत होते हुये प्रस्ताव निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 4-

'मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन दिनांक 26.12.2017 तक संलग्न 1-4 पर स्थापित।

कार्यवाही/निर्णय:-

इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग के संयुक्त सचिव ने बोर्ड को अवगत कराया कि, न्याय विभाग ने आदेश दिया है, कि विभागों को अपने लंबित प्रकरण उच्च न्यायालय की महाधिवक्ता कार्यालय की वेबसाइट www.coratcases.up.nic.in पर कववरण लोड किया जाना चाहिए, एवं उक्त के विषयक एक शासनादेश भी उपलब्ध कराया, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रबन्धक प्रशासन को शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुये, निर्देशित किया की वेबसाइट पर वादों की सूची अपलोड कराने का कार्य उनके स्तर से स-समय किया जायेगा एव प्रबन्धक प्रशासन ही इस कार्य के लिये नोडल अधिकारी होंगे। प्रशासनिक विभाग में संयुक्त सचिव श्री सीताराम यादव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

निदेशक मण्डल के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव एवं कार्यवाही से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:-

संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना।

कार्यवाही/निर्णय:-

निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूपीडा में विभिन्न पदों पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर नियत अवधि के लिये की गई है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनका कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया जाता है, इसी क्रम में 7 कर्मियों के कार्यकाल बढ़ाये जाने के निर्णय का अनुमोदन बोर्ड में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त पर निदेशक मण्डल के सदस्यों ने सेवा विस्तार की पृथक-पृथक अवधि को देखते हुये यह जानना चाहा की सेवा विस्तार में पृथक-पृथक अवधि क्यों दी गई है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने उक्त पर अवगत कराया है, कि पद पर कार्यरत कर्मों की सेवा की आवश्यकताओं की दृष्टिगत सेवा विस्तार की अवधि निश्चित की जाती है, शीघ्र ही इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर दी जाएगी।

निदेशक मण्डल के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव एवं कार्यवाही से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:-

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) का आय व्ययक।

कार्यवाही/निर्णय:-

उक्त पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया की एजेण्डा बिन्दु-6 पर 2017-2018 की बजट की स्थिति प्रस्तुत की गई है, इस वर्ष आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोई बजट आवंटित नहीं हुआ है। केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिये भूमि कय हेतु बजट आवंटित हुआ है, इस वर्ष लेखा अनुदान 5 माह का था, उसमें रू0 2300 करोड़ अनुदान संख्या 7 और रू0 500 करोड़ था, अनुदान संख्या 83 में कुल रू0 2300 करोड़ लेखा अनुदान में था, अतः 5/12 के आधार पर रू0 950 करोड़ आहरित हुआ, जिसके विवरण एजेण्डा में प्रस्तुत किये गये हैं।

निदेशक मण्डल के सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव एवं कार्यवाही से अवगत होते हुये कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूपीडा प्राधिकरण के कार्य संचालन हेतु व्ययों को एजेन्सी चार्ज के रूप में प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही/निर्णय:-

एजेण्डा बिन्दु-7 पर उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया की जब 2014-2015 में योजना स्वीकृत हुई थी, तो शासन के आदेश संख्या-1763/77-3-14-259(एम)/2014 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा उक्त हेतु यह योजना रू0 11526 करोड़ की थी, जिसमें एजेन्सी चार्ज के लिये आदेश जारी किया गया था, जो अवलोकनीय है। परियोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग में धनराशि कम हो गई थी, जो बाद में बढ़ा कर रू0 376 करोड़ की गई है, एवं यूपीडा में एजेन्सी चार्ज के रूप में यह आकलन किया गया था, कि रू0 129 करोड़ में एजेन्सी चार्ज व्यय होगा जो 2017 फरवरी तक था, यह भी अवगत कराया कि इस वर्ष आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोई बजट नहीं दिया गया है, पूर्व में एजेन्सी चार्ज के लिये पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं होता था। यूपीडा के स्तर पर आवंटित बजट में से तत्कालीक आवश्यकतानुसार प्रशासनिक व्यय कर लिया जाता था।

पिछले वर्ष स्थापना (Establishment) पर रू0 27 करोड़ व्यय हुआ, इस वित्तीय वर्ष में अभी तक रू0 15 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं, तथा आगामी 3 माह में लगभग रू0 8 करोड़ खर्च होंगे। जिसके स्वीकृति की आवश्यकता हैं। चूँकि अब बजट उपलब्ध नहीं है, निदेशक मण्डल के वित्त विभाग के सदस्य (अपर निदेशक कोषागार) ने यह सुझाव दिया कि, प्रशासकीय व्यय को परियोजना के व्यय के अन्तर्गत शामिल किया जाए। चूँकि यह प्रथम बार स्वीकृत हो रहा है, अतः यूपीडा के तत्वाधान में चल रही परियोजनाओं का पूरे वित्तीय वर्ष का आय-व्यय का विवरण भी प्रस्तुत कर बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उक्त पर तदानुसार यह निर्णय लिया गया, कि इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0 23 करोड़ व्यय अनुमानित है, (जिसमें रू0 15 करोड़ व्यय हो चुके हैं एवं रू0 8 करोड़ व्यय होना हैं।) को परियोजना व्यय में शामिल करते हुए प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को अवगत करा दिया जाए, एवं यह निर्देश दिया गया, कि आगामी बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करें, अनुमोदित भी करा लिया जाए।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृपया नोट शीट पृष्ठ 384 से पृष्ठ 389 पर स्थापित 36वीं निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, सहमति की दशा में अनुमोदनार्थ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अध्यक्ष निदेशक मण्डल से अनुमोदन हेतु अनुरोध करना चाहें।

अनुमोदित

अध्यक्ष

पिछले वर्ष स्थापना (Establishment) पर रू0 27 करोड़ व्यय हुआ, इस वित्तीय वर्ष में अभी तक रू0 15 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं, तथा आगामी 3 माह में लगभग रू0 8 करोड़ खर्च होंगे। जिसके स्वीकृति की आवश्यकता है। चूँकि अब बजट उपलब्ध नहीं है, निदेशक मण्डल के वित्त विभाग के सदस्य (अपर निदेशक कोषागार) ने यह सुझाव दिया कि, प्रशासकीय व्यय को परियोजना के व्यय के अन्तर्गत शामिल किया जाए। चूँकि यह प्रथम बार स्वीकृत हो रहा है, अतः यूपीडा के तत्वाधान में चल रही परियोजनाओं का पूरे वित्तीय वर्ष का आय-व्यय का विवरण भी प्रस्तुत कर बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उक्त पर तदानुसार यह निर्णय लिया गया, कि इस वित्तीय वर्ष में कुल रू0 23 करोड़ व्यय अनुमानित है, (जिसमें रू0 15 करोड़ व्यय हो चुके हैं एवं रू0 8 करोड़ व्यय होना है।) को परियोजना व्यय में शामिल करते हुए प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को अवगत करा दिया जाए, एवं यह निर्देश दिया गया, कि आगामी बोर्ड में वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करें, अनुमोदित भी करा लिया जाए।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.12.2017 को सम्पन्न हुई 36वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, पत्रावली में दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमोदित किये गये हैं।

(विश्वजीत राय)

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूपीडा, लखनऊ।